



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, नवम्बर 25, 2010/अग्रहायण 4, 1932

No. 641]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 25, 2010/AGRAHAYANA 4, 1932

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 925(अ).— भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का निस्तारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों के कल्याण के लिए आयुक्त के पद का सम्बन्धी प्रभार धारण करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान जज श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन को पदभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

[फा. सं. 21/21/2002-भोपाल सैल]

एस. सी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2010

G.S.R. 925(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby appoints Shri Justice Rajendra Menon, a sitting judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the Victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period of one year from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

[F.No. 21/21/2002-B-Cell]

S. C. GUPTA, Jr. Secy.